

## कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।

सं० 25743 / दस-लाइसेंस-367 / खण्ड-3 / सुझाव आबकारी नीति / 2009-10

दिनांक : इलाहाबाद, फरवरी, 12, 2009

### विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2009-10 के लिए विदेशी मदिरा, बियर तथा वाइन के थोक अनुज्ञापन निर्गत करने की प्रक्रिया दिनांक 19-02-2009 से आरम्भ की जायेगी। इन अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रमांक	थोक अनुज्ञापन का नाम	लाइसेंस फीस	प्रतिभूति धनराशि
1	एफ0एल0-2 (विदेशी मदिरा, बियर एवं वाइन के थोक लाइसेंस)	7,00,000 बोतलों तक रू० 5.0 लाख 7,00,000 से 15,00,000 बोतल तक रू० 10.0 लाख 15,00,000 से 25,00,000 लाख बोतल तक रू० 20.0 लाख 25,00,000 से 30,00,000 बोतल तक रू० 30.0 लाख 30,00,000 बोतल से अधिक रू० 40 लाख	लाइसेंस फीस का 10 प्रतिशत
2	एफ0एल0-2बी (बियर का थोक लाइसेंस)	पाँच लाख रुपये	50 हजार रुपये
3	एफ0एल0-2डी (आयातित मदिरा, वाइन, बियर का थोक लाइसेंस)	पचास हजार रुपये	दस हजार रुपये
4	बी0डब्लू0एफ0एल0-2ए (बाण्ड, विदेशी मदिरा) (देश के अन्य प्रान्त की आसवनियों हेतु)	पाँच लाख रुपये	तीन लाख रुपये
5	बी0डब्लू0एफ0एल0-2बी (बाण्ड बियर) (देश के अन्य प्रान्त की यवासवनियों हेतु)	तीन लाख पचास हजार रुपये	एक लाख रुपये
6	बी0डब्लू0एफ0एल0-2सी (बाण्ड वाइन) (देश के अन्य प्रान्त की विन्टिनरी हेतु)	पचास हजार रुपये	पच्चीस हजार रुपये
7	बी0डब्लू0एफ0एल0-2डी (बाण्ड कम तीव्रता के मादक पेय)	पच्चीस हजार रुपये	दस हजार रुपये

नोट:-

- उपरोक्त सभी अनुज्ञापनों हेतु लाइसेंस फीस एवं प्रतिभूति धनराशि के बैंक ड्राफ्ट किसी शेडयूल्ड बैंक, बीमकनसमक टंदाद के तथा पेएबुल ऐट इलाहाबाद होंगे तथा "आबकारी आयुक्त, उ०प्र० इलाहाबाद" के पद नाम से देय होंगे।
- उपरोक्त अनुज्ञापन, इच्छुक पात्र व्यक्ति द्वारा आवश्यक औपचारिकताओं को पूर्ण करते हुए, किसी भी कार्यालय कार्य दिवस पर कार्यालय आबकारी आयुक्त, उ०प्र०, आबकारी भवन) 171- पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से दिनांक 19-02-2009 से प्राप्त किये जा सकते हैं।

ह० / अपठनीय  
(सुधीर एम० बोबडे)

आबकारी आयुक्त,  
उत्तर प्रदेश ।